पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2005 का प्रथम अपील सं. 48

==========

हरि प्रसाद और अन्य

…….…… …… अपीलार्थी/ओं

बनाम

रामानंद प्रसाद और अन्य

…….…… …… प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री राज किशोर प्रसाद, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए : श्री अनिल कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 3 के लिए : श्री रवींद्र प्रसाद सिंह,अधिवक्ता

==========

सिविल प्रक्रिया संहिता---प्रथम अपील---अपील वापस लेना---इस आधार पर तत्काल अपील वापस लेने के लिए आवेदन कि अपीलकर्ता इस अपील के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं क्योंकि अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी सं. 1 और 2 के बीच विवाद समझौते के माध्यम से हल हो गया है---प्रतिवादी प्रतिवादी सं. 3 की ओर से तर्क कि जब तक उक्त समझौता याचिका इस न्यायालय में दायर नहीं की जाती है तब तक अपील वापसी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी सं. 1 और 2 ने समझौता याचिका में उसे पक्षकार बनाए बिना समझौता कर लिया था और उसे आवंटित संयुक्त परिवार की संपत्ति का कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष: यदि अपीलकर्ता अपनी अपील वापस लेना चाहता है तो उसे अपील जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और अपवाद तब है जब प्रतिवादी द्वारा क्रॉस अपील दायर की गई हो या प्रतिवादी द्वारा उठाए गए अपील के विषय-वस्तु से उत्पन्न किसी प्रश्न की उपलब्धता हो, जिसे अपीलकर्ता या अन्य प्रतिवादी(ओं) के विरुद्ध तय किया जाना हो। प्रतिवादी संख्या 3 ने वर्तमान मामले में कोई क्रॉस अपील दायर नहीं की है और अपीलकर्ताओं या प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध उस पर निर्णय लेने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं दिखाया है। अपीलकर्ताओं को इस अपील में जारी रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और प्रतिवादी संख्या 3 ने मूल अपीलकर्ताओं के स्थान पर अपीलकर्ता के रूप में स्थानांतरित होने के लिए कोई उचित आधार नहीं दिखाया है। वापसी आवेदन स्वीकार किया जाता है। (पैरा-1, 2, 5)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

34 20-01-2025 **आई. ए. संख्या 2024 की 06 और 2024 की 08**

अपीलार्थियों द्वारा 2024 का आई. ए. सं. 08 इस आधार पर तत्काल अपील वापस लेने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि अपीलार्थियों और प्रतिवादी सं. 1 और 2 के बीच विवाद को समझौते के माध्यम से हल किया गया है और इस संबंध में आई. ए. में विशिष्ट बयान दिया गया है, इसलिए अब अपीलार्थी इस अपील के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं।

2. प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ताओं को तत्काल अपील वापस लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि उक्त समझौता याचिका इस अदालत के समक्ष दायर नहीं की जाती है क्योंकि अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने समझौता याचिका में प्रतिवादी संख्या 3 को शामिल किए बिना समझौता किया और उक्त प्रतिवादी संख्या 3 एक वृद्ध महिला है और कैंसर से पीड़ित है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति का कब्जा जो प्रत्यर्थी संख्या 3 को आवंटित किया गया है, अब तक नहीं दिया गया है।

3. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील का अपीलार्थियों द्वारा की गई उपरोक्त प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है।

4. दोनों पक्षों को सुना गया और संबंधित सामग्री परीक्षित की गई|

5. यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि अपीलार्थी को अपील जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है यदि वह इसे वापस लेना चाहता है और अपवाद प्रतिवादी द्वारा दायर की गई प्रति अपील है अगर प्रतिवादी द्वारा दायर की गई या प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई अपील की विषय वस्तु से उत्पन्न किसी भी प्रश्न की उपलब्धता

है जो अपीलार्थी या अन्य प्रतिवादी(ओं) के खिलाफ तय किया जाना है। जहाँ तक तत्काल मामले का संबंध है, प्रतिवादी संख्या 3 ने 2024 की अपनी आई. ए. संख्या 06 में स्वीकार किया है कि उक्त प्रतिवादी संयुक्त परिवार की संपत्ति के 33 1/3 प्रतिशत हिस्से का हकदार है, जो विभाजन मुकदमे का विषय था और उक्त हिस्सा उसे आवंटित किया गया है। यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि विभाजन वाद की विषय वस्तु के संबंध में प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री तैयार की गई है और प्रतिवादी संख्या 3 ने वर्तमान मामले में कोई प्रति अपील दायर नहीं की है और अपीलकर्ताओं या प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के खिलाफ निर्णय लेने के लिए कोई ठोस प्रश्न नहीं दिखाया है, इसलिए, ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ताओं को इस अपील को जारी रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और प्रतिवादी संख्या 3 ने मूल अपीलकर्ताओं के स्थान पर अपीलकर्ता के रूप में स्थानांतरित होने के लिए कोई उचित आधार नहीं दिखाया है, इसलिए, मुझे 2024 की आई. ए. संख्या 06 में कोई बल नहीं मिलता है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है, जबकि मुझे 2024 की आई. ए. संख्या 08 में बल मिलता है और वही मान्य हैं और अपीलकर्ताओं को तत्काल अपील वापस लेने की अनुमति है और परिणामस्वरूप, 2005 की एफ. ए. संख्या 48 को वापस ले लिया गया है और खारिज किया जाता है।

6. वर्तमान आदेश प्रतिवादी संख्या 3 के अपील के माध्यम से अंतिम डिक्री को चुनौती देने के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, यदि वह चाहती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

बीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।